रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032024-252584
CG-DL-E-04032024-252584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 925] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

## मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

## (पशुपालन और डेयरी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2024

**का.आ. 970(अ).**—जबकि, सेवाएं या लाभ या सब्सिडी देने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की प्रदायगी प्रक्रिया आसान होती है, पारदर्शिता और कुशलता आती है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपना हक सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा आधार किसी को पहचान साबित करने के लिए बहु-दस्तावेजों की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है;

और जबकि, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में भारत सरकार, केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) को प्रशासित कर रही है जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है;

और जबकि, योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस, पी. पी. आर. और क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए टीकाकरण प्रदान करना है।

और जबकि, योजना के कार्यान्वयन में भारत की समेकित निधि और राज्यों की समेकित निधियों से आवर्ती व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 12 के साथ पठित, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामत: –

(i) प्रत्येक पात्र व्यक्ति या मालिक, जिनके पशुओं को इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट टीकाकरण के लाभ प्राप्त होने हैं, उनको आधार संख्या का प्रमाण देना होगा या आधार प्रमाणन से गुजरना होगा;

(ii) प्रत्येक पात्र व्यक्ति या मालिक, जिनके पशुओं को इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट टीकाकरण के लाभ प्राप्त होने हैं, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार] पर जा सकता है।

(iii) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्ररों के साथ समन्वय से या आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 21 के तहत आवेदन करके स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगें और उक्त उद्देश्य के लिए यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करेंगें:

बशर्ते कि जब तक लाभार्थी को आधार दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के तहत लाभ और सेवाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर देंगे-

(क) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो लगी बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; अथवा

(ii) मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(iii) स्थायी खाता संख्या कार्ड (पैन कार्ड); अथवा

(iv) पासपोर्ट; अथवा

(v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा

(vi) राशन कार्ड; अथवा

(vii) विस्तारित रोजगार कार्ड; अथवा

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा

(x) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2. योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त लाभ और सेवाएं प्रदान करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के तहत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेंगी।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी।

[फा. सं. के-11/30/2021-एल.एच.]

सरिता चौहान, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2024

**S.O. 970(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Central Government in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is administering a Central Sector Scheme, namely, the Livestock Health and Disease Control Programme (hereinafter referred to as the Scheme) which is implemented by the State Governments and the Union territory Administrations;

And whereas, one of the major objectives of the Scheme is to provide vaccination to the animals against Foot and Mouth Disease, Brucellosis, Peste des Petits Ruminants and Classical Swine Fever;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central Government hereby notifies the following, namely:–

(i) every eligible individual or owner whose animals are covered for the benefits vaccinations specified under this notification is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(ii) every eligible individual or owner whose animals are covered for the benefits of vaccinations specified under this notification, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall apply for Aadhaar enrolment provided such individual is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [as per the list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment;

(iii) The State Governments and the Union territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves by applying under regulation 21 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and contact Regional Offices of UIDAI for the said purpose:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, the implementing agency, State Governments and Union territory Administrations shall facilitate benefits and services under the Scheme to such individuals, upon production of–

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(b) any of the following documents, namely: –

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(ii) Voter Identification Card; or

(iii) Permanent Account Number Card; or

(iv) Passport; or

(v) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Ration Card; or

(vii) expand Job Card; or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Central Government.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits and services to the eligible individuals under the Scheme, the implementing agencies shall give wide publicity through media to spread awareness of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. This notification shall come into effect in all the States and Union Territories from the date of its publication in the Official Gazette of India.

[F. No. K-11/30/2021-LH]

SARITA CHAUHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.04 21:48:27 +05'30'